न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 17/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00129

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी जिला पाली		1. श्री चम्पालाल पुत्र श्री रामलाल प्रजापत निवासी आना, तहसील देसूरी जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत आना

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 03/3/21

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत आना, तहसील देसूरी द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.05.2017, मिसल संख्या 38/2016–17 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 02.08.2017 को रसीद संख्या 913(राशि 200 रूपये) के द्वारा पट्टा बुक संख्या 301, पट्टा संख्या 95 मिसल संख्या 38/2016–17 में पारित आदेश की पालना में जारी किया। जिसके पड़ोसी इस प्रकार है :– पूर्व में धन्नाराम पुत्र श्री छोगाजी का मकान, पश्चिम में रास्ता व दरवाजा, उत्तर में धन्नाराम पुत्र श्री छोगाजी का मकान, दक्षिण में वालाराम पुत्र श्री जोधाजी का मकान स्थित है। उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 को केवल उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर जारी किया गया है। जबकि उक्त जैर निगरानी आराजी का पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामलाल पुत्र जोधाराम, जाति प्रजापत, के नाम से जरिये मिसल संख्या 28/2005–06, पट्टा संख्या 11 दिनांक 10.11.2010 को जारी किया गया है। दोनों पट्टे एक ही आराजी पर जारी किये गये है जो पत्रावली के संलग्न रेकर्ड में इनके पड़ोस देखने पर स्पष्ट है। अतः पट्टे पर पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से उक्त जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया। अप्रार्थी को आवाजें लगवाई गई। उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

पत्रावली व ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी में दो बिन्दुओं पर विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है :–

1. पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा जारी किया जाने में विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

पत्रावली के संलग्न ग्राम [illegible] आना से प्राप्त रेकर्ड से स्पष्ट है कि उक्त जैर निगरानी आराजी का पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता रामलाल के नाम जरिये मिसल संख्या 28/2005–06 में पारित आदेश की की पालना में पट्टा संख्या 11 जारी किया गया था तथा [illegible] में पुनः इसी आराजी का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संकल्प संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:47 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

01 मिसल संख्या 38/2016–17 की पालना में पट्टा संख्या 95 दिनांक 02.08.2017 को जारी किया गया। उक्त दोनों पट्टो के पड़ोस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों पट्टे एक ही आराजी पर जारी किए गए है जो विधि सम्मत नहीं है।

पत्रावली में केवल अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र को आधार मानकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.05.2017 की पालना में, मिसल संख्या 38/2016–17 के जरिये जारी पश्चातवृती पट्टा संख्या 95 दिनांक 02.08.2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)

जिला कलूक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:47 IST
Reason: SelfAttested